

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 379/2019 अनवान टीकमाराम बनाम बालाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
<p>20</p> <p>26.02 20</p>	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1531/1029 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 1536/417 रकबा 70.05 बीघा, खसरा संख्या 416 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1532/1029 रकबा 69.09 बीघा, खसरा संख्या 1542/417 रकबा 141.03 बीघा, खसरा संख्या 414 रकबा 01.04 बीघा, खसरा संख्या 415 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 1528/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1529/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1529/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1529/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1533/417 रकबा 140.18 बीघा, खसरा संख्या 1534/417 रकबा 136.00 बीघा, खसरा संख्या 1530/1029 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 1535/417 रकबा 70.10 बीघा कुल रकबा 837.05 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।</p> <p>प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1531/1029 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या 1536/417 रकबा 70.05 बीघा, खसरा संख्या 416 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1532/1029 रकबा 69.09 बीघा, खसरा संख्या 1542/417 रकबा 141.03 बीघा, खसरा संख्या 414 रकबा 01.04 बीघा, खसरा संख्या 415 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 1528/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1529/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1529/1029 रकबा 69.00 बीघा, खसरा संख्या 1533/417 रकबा 140.18 बीघा, खसरा संख्या 1534/417 रकबा 136.00 बीघा, खसरा संख्या 1530/1029 रकबा 34.10 बीघा, खसरा संख्या</p>	

उप उपड अधिकारी
बाडमेर


हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

राजस्व आवेदन संख्या 379/2019 अनवान टीकमाराम बनाम बालाराम

नम्बर
तारीख
इस
तामील
हुए

1535/417 रकबा 70.10 बीघा कुल रकबा 837.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक बालाघर
(SDO) बाडमेर

